

लक्ष्मी नारायण सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से और अन्य

बनाम

सरजू सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से और अन्य

(2011 की दीवानी अपील संख्या 5823)

17 अगस्त, 2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण]

विलेख और दस्तावेज: वसीयत और उपवसीयतें - वसीयत का खंडन - प्रोबेट - तथ्यों पर, वसीयतकर्ता ने आवेदक के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की - आवेदक द्वारा प्रोबेट की कार्यवाही - आपत्तिकर्ता का मामला कि आवेदक के पक्ष में वसीयत को एक पंजीकृत निरस्तीकरण विलेख द्वारा खंडित और निरस्त कर दिया गया था - विचारण न्यायालय ने माना कि आवेदक वसीयत का प्रोबेट प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि उसे खंडित कर दिया गया था - अपील में, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए प्रोबेट प्रदान किया कि आवेदक के पक्ष में वसीयत निरस्त नहीं की गई थी - उच्च न्यायालय ने पंजीकृत निरस्तीकरण विलेख पर अविश्वास किया जिसके द्वारा वसीयतकर्ता ने वसीयत को खंडित किया था - अपील पर, अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण विलेख पर अविश्वास करने और यह मानने में कि आवेदक वसीयत के प्रोबेट के अनुदान का हकदार है, महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा करके त्रुटि की - प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई, इस प्रकार, आपत्तिकर्ताओं के मामले में सत्यता है - इसके अलावा, विचारण न्यायालय यह मानने में सही था कि वसीयतकर्ता चिकित्सकीय रूप से फिट था और उसने स्वयं वसीयत निरस्त कर दी थी - साथ ही निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता पर केवल इस तथ्य के कारण संदेह नहीं किया जा

सकता है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और वसीयतकर्ता ने एक साक्षर व्यक्ति के रूप में, अपना अंगूठे का निशान लगाया था जिसे विशेषज्ञ द्वारा प्रामाणिक सिद्ध किया गया था - इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने:

अभिनिर्धारित: 1.1 प्रोबेट आवेदक की अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने वसीयतकर्ता-आर की स्वास्थ्य स्थिति का संदर्भ दिया, जो अपनी मृत्यु से पहले लकवाग्रस्त था और यह राय दी थी कि वसीयतकर्ता के लिए वसीयत को निरस्त करने के लिए उप-निबंधक कार्यालय का दौरा करना संभव नहीं होगा। तदनुसार, उप-निबंधक कार्यालय में उसके प्रतिरूपण पर अनुमान लगाया गया था। ऐसा निष्कर्ष तब भी निकाला गया, जब उप-निबंधक कार्यालय में वसीयतकर्ता के प्रतिरूपण के संबंध में आपत्तिकर्ता के साक्षियों से न तो कोई सुझाव दिया गया और न ही कोई प्रति-परीक्षण किया गया। यह अभिलेखित करना भी महत्वपूर्ण है कि हस्तलेखन विशेषज्ञ की प्रतिवेदन और निरस्तीकरण विलेख दोनों को विचारण न्यायालय में दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय, बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था। उच्च न्यायालय निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता पर साक्ष्य देने वाले अन्य साक्षी-3, अन्य साक्षी-4 और अन्य साक्षी-5 के साक्ष्य को उचित महत्व देने में विफल रहा। इसके बजाय, उप-निबंधक के कार्यालय का दौरा करके निरस्तीकरण विलेख को पंजीकृत करने के लिए वसीयतकर्ता के प्रतिरूपण और अक्षमता पर त्रुटिपूर्ण अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा, प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय में संबंधित निरस्तीकरण विलेख की स्वीकृति और चिह्नित करने का कभी विरोध नहीं किया। इसलिए, विशेषज्ञ की प्रतिवेदन के सामने, जब निरस्तीकरण विलेख को विचारण न्यायालय के सामने बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था, तो उन्हें अग्राह्य नहीं माना जा सकता था और उन्हें प्रामाणिक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से अन्य साक्षी-3-5 की गवाही के मद्देनजर, जो वसीयतकर्ता द्वारा पंजीकृत खंडन विलेख के निष्पादन पर दृढ़ थे।

[कंडिका 14-16][219-एफ-एच; 220-ए-डी]

1.2 निरस्तीकरण विलेख पर वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान के मुद्दे पर, यह बताता है कि वसीयतकर्ता द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित सभी चारों विलेखों में उसके हस्ताक्षर नहीं बल्कि उसके अंगूठे का निशान शामिल था। इसलिए, निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता पर प्रतिकूल अनुमान केवल इस कारण से नहीं लगाया जा सकता है कि वसीयतकर्ता ने अपना अंगूठा का निशान लगाना चुना। इसके अलावा, हस्तलेखन विशेषज्ञ (अन्य साक्षी-3) की प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि विशेषज्ञ की राय के सामने रखे गए सभी दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान एक ही व्यक्ति-आर का है। चूंकि विशेषज्ञ की प्रतिवेदन को न्यायालय में आवेदक से बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था, इसलिए उसकी प्रामाणिकता को अपीलीय न्यायालय के सामने चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा, जब खंडन विलेख पंजीकृत किया गया था, वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का संदर्भ देकर एक विपरीत अनुमान त्रुटिपूर्ण ढंग से निकाला गया था। अंगूठे के निशान की मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय अंगूठे का निशान होता है। अंगूठे के निशान का जालसाजी लगभग असंभव है। इसलिए, संपत्ति लेनदेन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बजाय अंगूठे का निशान लगाने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। इसलिए, निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता पर केवल इस तथ्य के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और आर ने एक साक्षर व्यक्ति के रूप में, अपना अंगूठा का निशान लगाया। यह इस मामले में और भी अधिक है क्योंकि वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान को विशेषज्ञ द्वारा प्रामाणिक सिद्ध किया गया था। [कंडिका 17, 18][220-डी-एच]

1.3 आपत्तिकर्ताओं के आचरण के निहितार्थ के संबंध में, जिन्होंने निरस्तीकरण विलेख की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की, वे मूल प्रति (जो वाईके के कब्जे में होने की सूचना थी) को पेश करने के लिए कोई कदम उठाने में भी विफल रहे। इस पर, प्रोबेट आवेदक ने न

तो प्रमाणित प्रति पेश करने पर आपति की और न ही मूल निरस्तीकरण विलेख को पेश करने पर बल दिया। जैसा कि देखा जा सकता है, प्रोबेट आपत्तिकर्ताओं ने निरस्तीकरण विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर कभी आपति नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रोबेट आवेदक ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि आर बीमार रह रहा था और उसके लिए निरस्तीकरण विलेख को पंजीकृत कराने के लिए उप-निबंधक कार्यालय में अकेले जाना संभव नहीं था। जब यह निवेदन था और संबंधित विलेख को बिना विरोध के पेश किया गया और चिह्नित किया गया, तो उच्च न्यायालय को निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता के समर्थन में अत्यधिक साक्ष्य के सामने, वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का संदर्भ देकर आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान नहीं निकालना चाहिए था। ऐसे परिदृश्य में, जहां प्रोबेट आवेदक द्वारा निरस्तीकरण विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के खिलाफ कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया था, उसे अपीलीय कार्यवाही के दौरान मूल निरस्तीकरण विलेख को प्रस्तुत न करने का निवेदन उठाने की बाद में अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रोबेट आवेदकों का मुख्य तर्क यह था कि निरस्तीकरण विलेख के सबूत का तरीका अपर्याप्त था, हालांकि, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रोबेट आवेदकों का यह रुख नहीं था। एक पंजीकृत दस्तावेज की ग्राह्यता के संबंध में आपति विचारण न्यायालय के समक्ष सबसे पहले चरण में उठाई जानी चाहिए और आपति को अपील में, पहली बार नहीं लिया जा सकता था।

[कंडिका 19, 20][221-ए-एफ]

1.4 यह स्पष्ट है कि सबूत के तरीके के संबंध में निवेदन को अपीलीय चरण पर पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि इसे विचारण न्यायालय के समक्ष उचित चरण पर नहीं उठाया गया था। यह उस पक्ष को पूर्वाग्रह से बचने के लिए है जिसने दूसरी तरफ से बिना विरोध के एक मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। यदि विचारण न्यायालय के सामने ऐसी आपति उठाई गई होती, तो संबंधित पक्ष दस्तावेज की मूल प्रति को तलब करके सबूत के तरीके को ठीक कर सकती थी। लेकिन ऐसा अवसर बाद

के चरण में उपलब्ध या संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, अपीलीय चरण के दौरान ऐसी आपत्ति उठाने की अनुमति देना उस पक्ष को खतरे में डाल देगा (जिसने मूल प्रति के बजाय प्रमाणित प्रति को प्रतिवेदन पर रखा था) और उस पक्ष के हितों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करेगा। यह निष्पक्ष खेल के नियम के भी असंगत होगा।

[कंडिका 24][223-डी-जी]

1.5 उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण विलेख पर अविश्वास करने में महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा करके त्रुटि की थी और उस आधार पर यह घोषित किया था कि आवेदक वसीयत के प्रोबेट के अनुदान का हकदार है। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई, उच्च न्यायालय के लिए यह कहना कि मूल निरस्तीकरण विलेख को पेश करना प्रतिवादी का कर्तव्य था, कोई अवसर नहीं था।

[कंडिका 25][223-जी-एच; 224-ए]

1.6 जांच के आधार पर, विचारण न्यायालय यह मानने में सही था कि वसीयतकर्ता चिकित्सकीय रूप से फिट था और उसने स्वयं वसीयत निरस्त कर दी थी। प्रासंगिक अन्य साक्षी के साक्ष्य विचारण न्यायालय की जांच पर खरे उतरे हैं और वे अडिग रहे हैं और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के संबंध में आपत्ति उठाने में प्रोबेट आवेदकों की चूक को ध्यान में रखते हुए, आपत्तिकर्ताओं के मामले में सत्यता पाते हैं। उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और प्रथम अपर जिला न्यायाधीश का निर्णय बहाल किया जाता है।

[कंडिका 26, 27][224-सी-ई]

पदमान बनाम हनवंता एआईआर 1915 पीसी 111; गोपाल दास बनाम श्री

ठाकुरजी एआईआर 1943 पीसी 83; आर.वी.ई. वेंकटाचला गौंडर बनाम

अरुलमिगु विश्वेसरस्वामी और वी.पी. मंदिर (2003) 8 एससीसी 752 :
 [2003] ; 4 सप्ली. एस.सी.आर. 450; दयामथी बाई बनाम केएम शफी
 (2004) 7 एससीसी 107 : [2004] ; 3 सप्ली. एस.सी.आर. 336; बाबू आनंद
 बिहारी बनाम दिनशॉ एंड कंपनी एआईआर 1946 पीसी 24 – संदर्भित।

विधि वाद संदर्भ

एआईआर 1915 पीसी 111	संदर्भित	कंडिका 20
एआईआर 1943 पीसी 83	संदर्भित	कंडिका 21
[2004]3 सप्ली. एस.सी.आर. 336	संदर्भित	कंडिका 23
[2003]4 सप्ली. एस.सी.आर. 450	संदर्भित	कंडिका 24
एआईआर 1946 पीसी 24	संदर्भित	कंडिका 25

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की दीवानी अपील संख्या 5823

पटना उच्च न्यायालय के मूल डिक्री संख्या 127/1974 के अपील में दिनांक
 15.04.2009 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ताओं के लिए: सुश्री सेओशी चटर्जी, शिव कुमार पांडे, चंद्रशेखर ए. चकलाबी,
 अवनीश कुमार, मेसर्स धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स के लिए, अंशुल राय।

उत्तरदाताओं के लिए: अभय कुमार, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

माननीय न्यायमूर्ति श्री हृषिकेश रॉय

1. यह अपील पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 15.04.2009 के निर्णय और आदेश
 से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा प्रोबेट आवेदक द्वारा दायर अपील को उसके पक्ष में स्वीकार
 किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सरजू सिंह के पक्ष में वसीयत निरस्त

नहीं की गई थी। इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को उलट दिया जिसने यह माना था कि आवेदक वसीयत का प्रोबेट प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि उसे खंडित किया गया था। उच्च न्यायालय ने आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ आक्षेपित फैसला देने के लिए दिनांक 02.02.1963 के पंजीकृत निरस्तीकरण विलेख (प्रदर्श सी) पर अविश्वास किया, जिसके द्वारा प्रदर्श 2 वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा खंडित किया गया था।

प्रासंगिक तथ्य

2. राजेंद्र सिंह (अब मृत) ने 14.09.1960 (प्रदर्श 2) को आवेदक सरजू सिंह के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी। निष्पादक 21.08.1963 को निस्संतान मर गया, पीछे अपनी बहन दूलर कुंवर, दिवंगत ठाकुर प्रसाद सिंह की पत्नी और भतीजा युगल किशोर सिंह और प्रोबेट आवेदक सरजू सिंह को छोड़ गया। आवेदक का मामला यह है कि वसीयतकर्ता की पत्नी बहुत पहले मर गई थी और इसलिए राजेंद्र सिंह, जो निस्संतान था, ने उत्तरदाता सरजू सिंह (मृत) के पक्ष में वसीयत (प्रदर्श 2) निष्पादित करके गांव पोझी बुजुर्ग और पोझी कपूर, जिला-सारण, बिहार में अपनी संपत्ति वसीयत कर दी थी।

3. सरजू सिंह द्वारा शुरू की गई प्रोबेट कार्यवाही, यानी प्रोबेट वाद संख्या 19/1967 में, श्याम सुंदर कुंवर उर्फ राज बंसी कुंवर (वसीयतकर्ता की दूसरी पत्नी और विधवा होने का दावा करते हुए) द्वारा आपत्ति दायर की गई थी। खेदरन कुंवर ने भी आवेदक का विरोध किया और उसने दावा किया कि वह दिवंगत जग जितन सिंह (वसीयतकर्ता राजेंद्र सिंह का भाई) के पुत्र जमादार सिंह की विधवा थी। आपत्तिकर्ताओं के अनुसार, सरजू सिंह के पक्ष में वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा दिनांक 02.02.1963 के पंजीकृत निरस्तीकरण विलेख (प्रदर्श सी) द्वारा खंडित और निरस्त कर दिया गया था। आपत्तिकर्ता का तर्क यह भी था कि राज बंसी कुंवर, दिवंगत राजेंद्र सिंह से संबंधित सभी परिसंपत्तियों के कब्जे में थी और उसने खेदरन कुंवर के साथ मिलकर, अपीलकर्ताओं को जमीन के कई भूखंड बेचे। आठ क्रेता,

जिन्होंने ऐसी खरीद के बाद कब्जा लिया, प्रोबेट कार्यवाही में पेश हुए और आपत्तिकर्ताओं के मामले का समर्थन किया।

4. यह बताना प्रासंगिक है कि आवेदक सरजू सिंह के पक्ष में वसीयत की वैधता को कभी गंभीर रूप से चुनौती नहीं दी गई थी, लेकिन आपत्तिकर्ताओं ने निवेदन किया कि संबंधित वसीयत को वसीयतकर्ता ने स्वयं 02.02.1963 को एक पंजीकृत विलेख (प्रदर्श सी) द्वारा निरस्त कर दिया था। हालांकि, आवेदक का दावा है कि वसीयतकर्ता का स्वास्थ्य बहुत खराब, लकवाग्रस्त था और दिनांक 02.02.1963 को पंजीकृत निरस्तीकरण विलेख (प्रदर्श 'सी') को निष्पादित करने के लिए उप-निबंधक के कार्यालय में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं था। आवेदक ने वसीयत के निरस्तीकरण विलेख पर वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान की प्रामाणिकता को भी चुनौती दी।

5. सरजू सिंह द्वारा दायर प्रोबेट मामले में, माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, छपरा ने पहले यह निष्कर्ष निकाला कि वसीयत (प्रदर्श 2) एक प्रामाणिक दस्तावेज है। हालांकि, आपत्तिकर्ताओं द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का संदर्भ देते हुए, माननीय न्यायाधीश ने फिर यह माना कि वसीयत (प्रदर्श 2) को राजेंद्र सिंह की 21.08.1963 को पटना अस्पताल में मृत्यु से कुछ महीने पहले, दिनांक 02.02.1963 को एक पंजीकृत विलेख (प्रदर्श सी) के तहत निरस्त कर दिया गया था। न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श एफ) का भी संदर्भ दिया कि यह इंगित नहीं करता है कि वसीयतकर्ता लकवाग्रस्त था। यह अवलोकन विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के इस तर्क को अस्वीकार करने के लिए किया गया था कि राजेंद्र सिंह लकवाग्रस्त था और अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले वसीयत को निरस्त करने में असमर्थ था। माननीय न्यायाधीश ने फिर आपत्तिकर्ता श्याम सुंदर कुंवर द्वारा पेश किए गए विक्रय विलेखों पर विचार किया और अवलोकन किया कि वह राजेंद्र सिंह की संपत्ति को उसके कानूनी वारिस के रूप में संभाल रही थी और यह न्यायालय के अनुसार

इस तथ्य का भी सूचक था कि जिस वसीयत के लिए प्रोबेट मांगा गया था, उसे वसीयतकर्ता ने स्वयं खंडित कर दिया था।

6. माननीय विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.02.1963 के निरस्तीकरण विलेख (प्रदर्श 'सी') की प्रामाणिकता की जांच करते समय, हस्तलेखन विशेषज्ञ, हसन रजा (अन्य साक्षी-3), निरस्तीकरण विलेख के सत्यापनकर्ता साक्षी, जगन्नाथ प्रसाद (अन्य साक्षी-4) और निरस्तीकरण विलेख के लेखक शशिनथ मिश्रा (अन्य साक्षी-5) के साक्ष्य का संदर्भ दिया। अन्य साक्षी-3 ने एक विशेषज्ञ के रूप में, युगल किशोर सिंह के पक्ष में दिनांक 23.7.1947 के उपहार विलेख (प्रदर्श 1) पर और सरजू सिंह के पक्ष में दिनांक 14.09.1960 के वसीयत (प्रदर्श 2) पर राजेंद्र सिंह के स्वीकृत अंगूठे के निशान की तुलना छपरा पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत अंगूठे के निशान से की और निम्नलिखित अभिलेखित किया:-

"8.xxx...विशेषज्ञ जिसने इन अंगूठों के निशानों की जांच की, उसकी राय है कि ये सभी अंगूठे के निशान मेल खाते हैं। अन्य साक्षी-3 एस.ई.टी. हसन रजा विशेषज्ञ हैं और प्रदर्श बी उनका प्रतिवेदन है। उनके प्रति-परीक्षण में उनके साक्ष्य और प्रतिवेदन को अस्वीकार करने के लिए कुछ भी नहीं हैxxx...।"

निरस्तीकरण विलेख के साक्षी और लेखक की गवाही का संदर्भ देते हुए, विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:-

"10.xxx...आवेदक की तरफ से कोई साक्ष्य नहीं है और न ही सत्यापनकर्ता गवाह साक्षी अन्य साक्षी-4 और लेखक अन्य साक्षी-5 शशिनथ मिश्रा को यह सुझाव दिया गया है कि किसी और ने भी उप-निबंधक के सामने राजेंद्र सिंह का प्रतिरूपण किया थाxxx...।"

7. उपर्युक्त विश्लेषण पर, माननीय विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 14.12.1973 के निर्णय के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि वसीयत खंडित कर दी गई है और आवेदक सरजू सिंह वसीयत का प्रोबेट प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

8. विचारण न्यायालय द्वारा प्रोबेट मामले को अस्वीकार किए जाने से व्यथित होकर, आवेदक सरजू सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 127/1974 दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान, 21.03.2002 को, सरजू सिंह की मृत्यु हो गई लेकिन दिवंगत अपीलकर्ता के प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।

9. उच्च न्यायालय ने मूल मुद्दे को संबोधित किया कि क्या वसीयतकर्ता ने वसीयत निरस्त कर दी थी। फिर न्यायालय ने वसीयतकर्ता की नाजुक स्वास्थ्य स्थिति और आपत्तिकर्ताओं द्वारा निरस्तीकरण विलेख की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफलता और महत्वपूर्ण साक्षी की गैर-प्रस्तुति को नोट किया। ऐसे विचार पर, अपीलीय न्यायालय ने माना कि वसीयत को निरस्त करने वाले विलेख को साक्ष्य में नहीं लिया जाना चाहिए। माननीय न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि वसीयत की वैधता पर कभी गंभीर रूप से सवाल नहीं उठाया गया था और आपत्तिकर्ताओं ने कहा था कि वसीयत वसीयतकर्ता ने स्वयं निरस्त कर दी थी। उच्च न्यायालय ने तदनुसार प्रोबेट प्रदान किया और विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलट दिया। परिसंपत्तियों के बाद के क्रेताओं ने, जिन्होंने प्रोबेट कार्यवाही में आपत्तिकर्ता के मामले का समर्थन किया, फिर वर्तमान अपील दायर की है।

10. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, प्रतिद्वंद्वी दावों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए पहले पक्षों को सुझाव दिया गया था और तदनुसार अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन जब मामला अंतिम सुनवाई के लिए लिया गया, तो उत्तरदाताओं के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया कि वे किसी स्वीकार्य निपटारे पर पहुंचने में विफल रहे और इसलिए अपील की सुनवाई की जानी चाहिए।

11. जहां तक उच्च न्यायालय के सामने दिवंगत सरजू सिंह का गैर-प्रतिस्थापन और अन्य प्रतियोगी पक्षों के कानूनी वारिसों का गैर-प्रतिस्थापन का संबंध है, इस न्यायालय में 13.04.2021 को हुई कार्यवाही के मद्देनजर, उसी पर इस बिंदु पर हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है, जहां पक्षों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि यद्यपि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील एक मृत व्यक्ति के खिलाफ तय की गई थी और वर्तमान अपीलकर्ताओं के कानूनी वारिसों को देर से प्रतिवेदन पर लाया गया था, चूंकि प्रतियोगी पक्षों के सभी कानूनी वारिसों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसलिए मामले को उसके कानूनी गुण-दोष पर तय किया जाना चाहिए। ऐसे आम सहमति के मद्देनजर, दायर किए गए पक्षों के संशोधित ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, हम अपील का निर्णय करने के लिए आगे बढ़े हैं।

चर्चा और निर्णय

12. हमने अपीलकर्ताओं/आपत्तिकर्ताओं के लिए पेश हो रही माननीय अधिवक्ता सुश्री सेओशी चटर्जी को सुना है। सरजू सिंह (प्रोबेट आवेदक) के कानूनी वारिसों का प्रतिनिधित्व माननीय अधिवक्ता श्री अभय कुमार द्वारा किया जाता है।

13. वर्तमान मामले में किसी भी पक्ष के दावे का गुण-दोष इस मूल मुद्दे के आस-पास घूमेगा कि क्या राजेंद्र सिंह ने वास्तव में सरजू सिंह के पक्ष में वसीयत खंडित की थी और निरस्तीकरण विलेख (प्रदर्श सी) को निष्पादित करने की उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता थी और क्या दिनांक 02.02.1963 के पंजीकृत दस्तावेज पर राजेंद्र सिंह के अंगूठे का निशान प्रामाणिक है या नहीं।

14. प्रोबेट आवेदक की अपील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने राजेंद्र सिंह की स्वास्थ्य स्थिति का संदर्भ दिया, जो अपनी मृत्यु से पहले लकवाग्रस्त था और यह राय दी थी कि वसीयतकर्ता के लिए वसीयत को निरस्त करने के लिए उप-निबंधक कार्यालय का दौरा करना संभव नहीं होगा। तदनुसार, उप-निबंधक कार्यालय में उसके प्रतिरूपण पर अनुमान लगाया गया था। ऐसा निष्कर्ष तब भी निकाला गया, जब उप-निबंधक कार्यालय में

वसीयतकर्ता राजेंद्र सिंह के प्रतिरूपण के संबंध में आपत्तिकर्ता के साक्षियों से न तो कोई सुझाव दिया गया और न ही कोई प्रति-परीक्षण किया गया। यह अभिलेखित करना भी महत्वपूर्ण है कि प्रदर्श बी (हस्तलेखन विशेषज्ञ की प्रतिवेदन) और प्रदर्श सी (निरस्तीकरण विलेख) दोनों को विचारण न्यायालय में दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय, बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था।

15. उच्च न्यायालय ने हमारे आकलन में, निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता पर साक्ष्य देने वाले अन्य साक्षी-3, अन्य साक्षी-4 और अन्य साक्षी-5 के साक्ष्य को उचित महत्व देने में विफल रहा। इसके बजाय, उप-निबंधक के कार्यालय का दौरा करके निरस्तीकरण विलेख को पंजीकृत करने के लिए वसीयतकर्ता के प्रतिरूपण और अक्षमता पर त्रुटिपूर्ण अनुमान लगाया गया था।

16. इसके अलावा, प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय में संबंधित निरस्तीकरण विलेख की स्वीकृति और चिह्नित करने का कभी विरोध नहीं किया। इसलिए, विशेषज्ञ की प्रतिवेदन (प्रदर्श बी) के सामने, जब निरस्तीकरण विलेख (प्रदर्श सी) को विचारण न्यायालय के सामने बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था, तो उन्हें अग्राह्य नहीं माना जा सकता था और उन्हें प्रामाणिक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से अन्य साक्षी-3, अन्य साक्षी-4 और अन्य साक्षी-5 की गवाही के मद्देनजर, जो वसीयतकर्ता, राजेंद्र सिंह द्वारा पंजीकृत खंडन विलेख के निष्पादन पर दृढ़ थे।

17. निरस्तीकरण विलेख पर वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान के मुद्दे पर, यह बताता है कि राजेंद्र सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित सभी चारों विलेखों में उसके हस्ताक्षर नहीं बल्कि उसके अंगूठे का निशान शामिल था। इसलिए, निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता पर प्रतिकूल अनुमान केवल इस कारण से नहीं लगाया जा सकता है कि वसीयतकर्ता ने अपना अंगूठे का निशान लगाना चुना। इसके अलावा, हस्तलेखन विशेषज्ञ (अन्य साक्षी-3) की प्रदर्श बी प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि विशेषज्ञ की राय के

सामने रखे गए सभी दस्तावेजों पर अंगूठे का निशान एक ही व्यक्ति यानी राजेंद्र सिंह का है। चूंकि उक्त प्रदर्श बी को न्यायालय में आवेदक से बिना किसी आपत्ति के चिह्नित किया गया था, इसलिए उसकी प्रामाणिकता को अपीलीय न्यायालय के सामने चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारे मत के अनुसार एक विपरीत अनुमान, उच्च न्यायालय द्वारा, जब खंडन विलेख पंजीकृत किया गया था, वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का संदर्भ देकर त्रुटिपूर्ण ढंग से निकाला गया था।

18. अंगूठे के निशान की मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय अंगूठे का निशान होता है। अंगूठे के निशान का जालसाजी लगभग असंभव है। इसलिए, संपत्ति लेनदेन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बजाय अंगूठे का निशान लगाने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। इसलिए, निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता पर केवल इस तथ्य के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और राजेंद्र ने एक साक्षर व्यक्ति के रूप में, अपना अंगूठे का निशान लगाया। यह इस मामले में और भी अधिक है क्योंकि वसीयतकर्ता के अंगूठे के निशान को विशेषज्ञ द्वारा प्रामाणिक सिद्ध किया गया था।

19. अगला, हमें आपत्तिकर्ताओं के आचरण के निहितार्थ पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन्होंने निरस्तीकरण विलेख की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की। वे मूल प्रति (जो युगल किशोर सिंह के कब्जे में होने की सूचना थी) को पेश करने के लिए कोई कदम उठाने में भी विफल रहे। इस पर, प्रोबेट आवेदक ने न तो प्रमाणित प्रति पेश करने पर आपत्ति की और न ही मूल निरस्तीकरण विलेख को पेश करने पर बल दिया। माननीय अधिवक्ता श्री अभय कुमार ने हालांकि यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने भी मूल निरस्तीकरण विलेख को पेश करने के लिए बल नहीं दिया था। जैसा कि देखा जा सकता है, प्रोबेट आपत्तिकर्ताओं ने निरस्तीकरण विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर कभी आपत्ति नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रोबेट आवेदक ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि राजेंद्र

बीमार रह रहा था और उसके लिए निरस्तीकरण विलेख को पंजीकृत कराने के लिए उप-निबंधक कार्यालय में अकेले जाना संभव नहीं था। जब यह आवेदक का तर्क था और संबंधित विलेख को बिना विरोध के पेश किया गया और चिह्नित किया गया, तो उच्च न्यायालय को निरस्तीकरण विलेख की प्रामाणिकता के समर्थन में अत्यधिक साक्ष्य के सामने, वसीयतकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति का संदर्भ देकर आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान नहीं निकालना चाहिए था।

20. ऐसे परिदृश्य में, जहां प्रोबेट आवेदक द्वारा निरस्तीकरण विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के खिलाफ कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया था, उसे अपीलीय कार्यवाही के दौरान मूल निरस्तीकरण विलेख को प्रस्तुत न करने का निवेदन उठाने की बाद में अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि पहले ही नोट किया गया है, प्रोबेट आवेदकों का मुख्य तर्क यह था कि निरस्तीकरण विलेख के सबूत का तरीका अपर्याप्त था। हालांकि, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रोबेट आवेदकों का यह रुख नहीं था। एक पंजीकृत दस्तावेज की ग्राह्यता के संबंध में आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष सबसे पहले चरण में उठाई जानी चाहिए और आपत्ति को अपील में, पहली बार नहीं लिया जा सकता था। इस पर हम माननीय न्यायमूर्ति अमीर अली द्वारा *पदमान बनाम हनुवंता*¹ में की गई टिप्पणियों से समर्थन ले सकते हैं जहां प्रिवी काउंसिल द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

“प्रतिवादियों ने अब महामहिम परिषद, के सामने अपील की है, और मामले पर उनकी ओर से विस्तार से तर्क दिया गया है। तर्क के दौरान यह बल दिया गया था कि 1898 की वसीयत की एक पंजीकृत प्रति को उसके प्रवेश के लिए पर्याप्त आधार रखे बिना साक्ष्य में स्वीकार किया गया था। हालांकि, निबंधक के कार्यालय से प्राप्त प्रति के साक्ष्य में रखे जाने के खिलाफ पहले न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यदि उस समय ऐसी आपत्ति की गई होती, तो जिला न्यायाधीश, जिसने

पहली बार मामले की सुनवाई की, शायद यह देखते कि कमी की आपूर्ति की जाती है। उनके महामहिम सोचते हैं कि वर्तमान तर्क में कोई सार नहीं है।” (मूल में बल)

21. जॉर्ज रैंकिन, न्यायमूर्ति द्वारा प्रिवी काउंसिल के निर्णय गोपाल दास बनाम श्री ठाकुरजी² में एक समान विचार लिया गया था जहां यह माना गया था कि सबूत के तरीके के संबंध में आपति तब उठाई जानी चाहिए जब दस्तावेज को पेश किया जाता है और इससे पहले कि उसे एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया जाए। इसे अपील में नहीं लिया जा सकता है। सबूत के तरीके के संबंध में आपति एक दस्तावेज को स्वीकार किए जाने और प्रदर्श के रूप में चिह्नित किए जाने से पहले उठाई जानी चाहिए। वर्तमान मामले में प्रोबेट आवेदक ने अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष निरस्तीकरण विलेख के सबूत के तरीके के संबंध में कभी कोई आपति नहीं उठाई, और इसे उसके खिलाफ माना जाना चाहिए।

22. हमारे उपर्युक्त निष्कर्ष के समर्थन में, हम आर.वी.ई. वेंकटाचला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेसरस्वामी और वी.पी. मंदिर³ में अनुपात का उपयोग कर सकते हैं जहां माननीय न्यायमूर्ति अशोक भान ने दूसरी तरफ पूर्वाग्रह से बचने के लिए निष्पक्ष खेल के नियम के रूप में अपील चरण पर सबूत के तरीके के संबंध में आपति को अस्वीकार करने के पहलू से निपटते हुए, निम्नानुसार कहा:-

“20. बाद के मामले में, आपति तब उठाई जानी चाहिए जब साक्ष्य पेश किया जाता है और एक बार जब दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार कर लिया जाता है और एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित कर लिया जाता है, तो यह आपति कि इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था या दस्तावेज को सिद्ध करने के लिए अपनाया गया तरीका अनियमित है, दस्तावेज को एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित करने के बाद किसी भी चरण पर उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बाद का प्रस्ताव

2 एआईआर 1943 पीसी 83

3 (2003) 8 एससीसी 752

निष्पक्षता का नियम है। महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि क्या एक आपति, यदि उचित समय पर उठाई गई होती, तो साक्ष्य पेश करने वाली पक्ष को दोष को ठीक करने और सबूत के ऐसे तरीके का सहारा लेने में सक्षम बनाती जो नियमित होता। आपति करने में चूक घातक हो जाती है क्योंकि उसकी विफलता से आपति करने का हकदार पक्ष साक्ष्य पेश करने वाली पक्ष को इस धारणा पर कार्य करने की अनुमति देता है कि विपरीत पक्ष सबूत के तरीके के बारे में गंभीर नहीं है। दूसरी ओर, एक तत्काल आपति साक्ष्य पेश करने वाली पक्ष को पूर्वाग्रहित नहीं करती, दो कारणों से: पहला, यह न्यायालय को अपना विवेक लगाने और ग्राह्यता के प्रश्न पर तभी और वहां अपना निर्णय सुनाने में सक्षम बनाता है; और दूसरा, साक्ष्य पेश करने वाली पक्ष को, अपनाया जाने वाला सबूत के तरीके पर न्यायालय के निष्कर्ष के पक्ष के खिलाफ जाने की स्थिति में, एक नियमित तरीका या सबूत की विधि को अनुमति देने के लिए न्यायालय की अनुग्रह की मांग करने का अवसर उपलब्ध होता है और इस प्रकार विपरीत पक्ष द्वारा उठाई गई आपति को हटाना संभव होता है। ऐसी प्रथा और प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष है। ऊपर संदर्भित दो प्रकार की आपतियों में से, बाद के मामले में, एक तत्काल और समय पर आपति उठाने में विफलता एक दस्तावेज के औपचारिक सबूत पर बल देने की आवश्यकता का अधित्याग होता है, जिस दस्तावेज को सिद्ध करने की मांग की जाती है वह स्वयं साक्ष्य में ग्राह्य होता है।....." (मूल में बल)

23. इस न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया द्वारा दयमथी बाई बनाम केएम शफी⁴ में लिखी गई राय में इसी तरह माना है कि सबूत के तरीके के संबंध में आपति प्रक्रियात्मक कानून के भीतर आती है। इसलिए, ऐसी आपतियों को छोड़ा जा सकता

है। इसके अलावा, आपति तब उठाई जानी चाहिए जब दस्तावेज को एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया जाता है और न्यायालय में स्वीकार किया जाता है।

24. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि सबूत के तरीके के संबंध में निवेदन को अपीलीय चरण पर पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि इसे विचारण न्यायालय के समक्ष उचित चरण पर नहीं उठाया गया था। यह उस पक्ष को पूर्वाग्रह से बचने के लिए है जिसने दूसरी तरफ से बिना विरोध के एक मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। यदि विचारण न्यायालय के सामने ऐसी आपति उठाई गई होती, तो संबंधित पक्ष दस्तावेज की मूल प्रति को तलब करके सबूत के तरीके को ठीक कर सकती थी। लेकिन ऐसा अवसर बाद के चरण में उपलब्ध या संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, अपीलीय चरण के दौरान ऐसी आपति उठाने की अनुमति देना उस पक्ष को खतरे में डाल देगा (जिसने मूल प्रति के बजाय प्रमाणित प्रति को प्रतिवेदन पर रखा था) और उस पक्ष के हितों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करेगा। यह माननीय न्यायमूर्ति अशोक भान द्वारा *आर.वी.ई. वेंकटाचला* (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित निष्पक्ष खेल के नियम के भी असंगत होगा।

25. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, हम इस सुविचारित राय के हैं कि उच्च न्यायालय ने निरस्तीकरण विलेख पर अविश्वास करने में महत्वपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा करके त्रुटि की थी और उस आधार पर यह घोषित किया था कि आवेदक वसीयत (प्रदर्श 2) के प्रोबेट के अनुदान का हकदार है। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रोबेट आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के संबंध में कभी कोई आपति नहीं उठाई, उच्च न्यायालय के लिए यह कहना कि मूल निरस्तीकरण विलेख को पेश करना प्रतिवादी का कर्तव्य था, कोई अवसर नहीं था। इसलिए *बाबू आनंद बिहारी बनाम दिनशॉ एंड कंपनी*⁵ में लॉर्ड थैंकर्टन की राय पर भरोसा करना अन्यायोचित पाया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि उस मामले में, मुख्तारनामा

के कुछ उद्धरण की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया गया था, लेकिन वर्तमान मामले में पंजीकृत निरस्तीकरण विलेख की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर आपत्ति नहीं की गई थी। इसके अलावा, विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके का निवेदन कभी नहीं उठाया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक का समर्थन करने के लिए उपर्युक्त मामले पर भरोसा करना अस्वीकार्य है।

26. उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर, यह हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय यह मानने में सही था कि राजेंद्र चिकित्सकीय रूप से ठीक था और उसने स्वयं वसीयत निरस्त कर दी थी। प्रासंगिक अन्य साक्षी के साक्ष्य विचारण न्यायालय की जांच पर खरे उतरे हैं और वे अडिग रहे हैं और उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय के समक्ष सबूत के तरीके के संबंध में आपत्ति उठाने में प्रोबेट आवेदकों की चूक को ध्यान में रखते हुए, आपत्तिकर्ताओं के मामले में सत्यता पाते हैं।

27. उपर्युक्त तर्क के लिए, हम वर्तमान अपील को अनुज्ञात करते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं और प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, छपरा के निर्णय को बहाल करते हैं, बिना किसी खर्च के आदेश के।

निधि जैन

अपील अनुज्ञात।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।